

म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति (MPS-4)

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

08 अरेरा हिल्स, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, प्रशिक्षण भवन परिसर (प्रथम तल), पुरानी जेल रोड, भोपाल
दूरभाष क्र. 0755- 2575559, 2575560 मेल आईडी - dsa.nregs@gmail.com , dsa.nregs@rediffmail.com

क्रमांक 1540/MPS-4/SA-305/2016

भोपाल, दिनांक 02/01/2016

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा),
जिला- भिण्ड, श्योपुर, गुना, सतना एवं अशोकनगर (म.प्र.)

विषय:-सीएमसीएलडीपी के अंतर्गत बैचलर ऑफ सोशल वर्क (नेतृत्व विकास) के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रों की इंटरशिप अवधि में किए जा रहे सामाजिक अंकेक्षण बाबत।


संदर्भ:-पत्र क्र. 1400/15.09.2016, 1425/17.10.2016, 1450/03.11.2016, 1478/23.11.2016 एवं 1532/26.12.2016।

विषयांतर्गत सीएमसीएलडीपी के अंतर्गत बैचलर ऑफ सोशल वर्क (नेतृत्व विकास) के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रों की इंटरशिप अवधि में सामाजिक अंकेक्षण के लिए संदर्भित निर्देश जारी किए गए हैं।

सीएमसीएलडीपी अंतर्गत इंटरशिप एवं सामाजिक अंकेक्षण शासन का प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम है। समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल से 30 सितम्बर 2016 के मध्य मनरेगा अंतर्गत किए गए कार्यों के एमआईएस प्रिंट छात्र समूह को उपलब्ध होकर सत्यापन की कार्रवाई निरंतर है।

गुना जिले के राघौगढ़ विकासखण्ड, भिण्ड, सतना, श्योपुर तथा अशोकनगर के समस्त विकासखण्डों में मनरेगा कार्यों के एमआईएस प्रिंट एवं अन्य संबंधित दस्तावेज छात्र समूहों को उपलब्ध न होकर प्रक्रिया में सहयोग प्रदान नहीं किए जाने बाबत जानकारी कार्यालय को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार आवश्यक दस्तावेज अप्राप्त रहने तथा शासन निर्देशानुसार अपेक्षित कार्रवाई समय पर नहीं होने के कारण सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया बाधित हो रही है।

अतः शासन निर्देशों के अनुरूप सुचारु रूप से प्रक्रिया संचालन हेतु संबंधितों को सक्षम निर्देश तत्काल जारी किए जाने एवं कृत कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध है।


(एल.एम. बेलवाल)
संचालक

म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति
भोपाल

पृ. क्र. 1540/1/MPS-4/SA-305/2016
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02/01/2016

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन अभियान परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-भिण्ड, श्योपुर, गुना, सतना एवं अशोकनगर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।



संचालक

म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति
भोपाल